रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1986/पौष 24, 1907
No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1986/PAUSA 24 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जनवर, 1986

संकल्प

विषय : वस्त्र मिलों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने और प्रबंध करने के लिए नोडीय अभिकरण।

सं. 4/19/85-सी. एस. एम.— सरकार द्वारा 6 जून, 1985 को घोषित वस्त्र नीति के विवरण के पैराग्राफ 18.3 के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र मिलों में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने और प्रबंध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

कार्य :

2 नोडीय अभिकरण के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त शामिल होंगे :—

(1) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों/आई. आर. बी. आई. द्वारा रुग्ण वस्त्र मिलों के संबंध में किए गए आर्थिक सक्षमता अध्ययनों पर विचार करना और इस आधार पर संबंधित अभिकरणों के परामर्श से यथोचित पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करना।

(2) आर्थिक रूप से संभाव्य सक्षम वस्त्र मिलों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेजों के तैयार करने के संबंध में, मानिटर और निरीक्षण करना और उसका क्रियान्वयन करना ताकि ये पैकेज सभी संबंधित अभिकरणों द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम में कार्य रूप में आ सकें।

(3) उन एककों का वित्तीय और तकनीकी निष्पादन मानिटर करना जिनके संबंध में पुनर्स्थापना पैकेज लागू कर दिया गया है।

(4) उन मामलों में जहां कोई वस्त्र एकक वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसा समझा जाता है कि वह उसके एक निर्धारित समयावधि में आर्थिक रूप से सक्षम होने की कोई आशा नहीं है, नोडीय अभिकरण वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाई गई आर्थिक सक्षमता रिपोर्टों की जांच करेगा और वह यदि आवश्यक समझे तो किसी एकक को संभाव्यता सक्षम न होने और बन्द करने के लिए सही घोषित करने से पूर्व किसी व्यक्ति या प्राधिकृत व्यक्तियों की मार्फत प्रबंधमंडल और श्रमिकों के विचार प्राप्त करेगा।

3. ऐसे वस्त्र उपक्रमों के मामलों पर जो "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" के क्षेत्र के अन्दर आते हों, नोडीय अभिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन पर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विचार होगा।

गठन :

4. नोडीय अभिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा उनका प्रतिनिधि—संयोजक

(2) अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति—सदस्य

(3) वस्त्र आयुक्त—सदस्य

(4) संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधि—सदस्य

आदेश :

5. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति नोडीय अभिकरण के संयोजक तथा सभी सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव, प्रधानमंत्री के कार्यालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सभी राज्य सरकारों तथा भारत में सभी संघ क्षेत्रों को भेजी जाए।

6. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 9th January, 1986

RESOLUTION

Subject : Nodal Agency to evolve and Manage Rehabilitation packages in respect of Textile Mills.

No. 4|19|85-CSM.—in accordance with the paragraph 18.3 of the Statement on Textile Policy announced by Government on the 6th of June, 1985, the Ministry of Textiles have decided to designate a Nodal Agency to evolve and manage Rehabilitation Packages in respect of textile mills.

FUNCTIONS :

2. The functions of the Nodal Agency will inter-alia include the following :—

(i) To consider the viability studies carried out in respect of sick textile mills by all India Financial Institutions|IRBI and to evolve appropriate Rehabilitation Packages on this basis in consultation with concerned agencies.

(ii) To coordinate, monitor and oversee the preparation and implementation of the Rehabilitation Packages in respect of potentially viable textile mills so that such packages are given affect to by all agencies concerned within a time bound programme.

(iii) To monitor the financial and technical performance of the units in respect of which a Rehabilitation Package has been administered.

(iv) In cases where a textile unit is considered as having no expectation of becoming viable in a reasonable period of time by the Financial Institutions the Nodal Agency would examine the viability reports prepared by the Financial Institutions and if necessary elicit the views of the management and the labour through a person or persons authorised by it on its behalf before declaring a unit as potentially non-viable and fit for closure.

3. The cases of such textile undertakings which fall within the scope of the 'Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985' shall not be considered by the Nodal Agency and would be dealt with in accordance with the Provisions of the said Act.

CONSTITUTION :

4. The Nodal Agency will have the following composition :—

(i) Chairman, Industrial Development Bank of India or his nominee —Convenor

(ii) Chairman, Industrial Reconstruction Bank of India or his nominee. —Member

(iii) Textile Commissioner —Member

(iv) Representative of the State Government concerned. —Member

ORDER :

5. Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Convenor and all Members of Nodal Agency, the Private Secretary and Military Secretary to the President, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, all Ministries of Government of India and all State Governments and Union Territories in India.

6. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. AGNIHOTRI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986